फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम–06, जयपुर महानगर–द्वितीय

राजस्थान राज्य बनाम **पप्पूराम**

मुकदमा नम्बर–16 / 2020

एफआईआर नंबर 432 / 2019 पुलिस थाना सोडाला

अपराध अन्तर्गत धारा – 19 / 54 आबकारी अधिनियम 1950

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.23	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त **पप्पूराम** न्यायालय जमानत पर उपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19 / 54 आबकारी अधिनियम 1950 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से अभियुक्त को धारा 19 / 54 आबकारी अधिनियम 1950 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया गया, जिसे सुन समझ कर अभियुक्त ने स्वेच्छया से आरोप को स्वीकार किया तथा पृथक से स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकृति का प्रार्थना पत्र पेश किया। अभियुक्त की स्वेच्छया जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 19 / 54 आबकारी अधिनियम 1950 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। चूंकि अभियुक्त ने स्वैच्छापूर्वक जुर्म स्वीकार किया है। अतः इस स्तर पर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की जाती है। सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य प्रलेख पर प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध किया। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि की साक्ष्य प्रलेख पर प्रस्तुत नहीं हुए। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त **पप्पूराम पुत्र किशन** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 19 / 54 आबकारी अधिनियम 1950 के अपराध में दोषसिद्धि कर परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्ता 01 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 / –रूपये का स्वयं का मुचलका एवं शपथ पत्र इस बाबत तस्दीक करा दें कि वह शांति सद्भावना बनाये रखेगा और ऐसा अपराध पुनः नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु बुलाने पर उपस्थित आयेगा तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5 के तहत अभियुक्त 500 / –रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) जुर्माना / अभियोजन व्यय जमा करा दे तो उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 व 5 का लाभ दिया जावे। आदेश की अनुपालना में अभियुक्त ने रूपये 500 / –रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) अभियोजन व्यय के जमा करवाये जो जरिये रसीद नं. **008494 / 29** दिनांक **01.12.2023** को जमा किये गये। आदेशानुसार अभियुक्त ने रूपये 10,000 / – (दस हजार रूपये) का स्वयं का मुचलका एवं शपथ पत्र किया जो बाद जांच तस्दीक किया गया। शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **(योगेश भारद्वाज)**	